(iv) हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक

(v) सभी श्रेणियों के लिपिकीय कर्मकार जिनमें आशुलिपिक, स्टोरकीपर, टाइम-कीपर, टंकक आदि भी शामिल हैं;

(vi) रसोइये जिनमें घरेलु रोजगार में नियोजित रसोइये शामिल नहीं हैं। इसका आशय भारतीय कर्मकारों के विदेशी उत्पवास को बढ़ावा देना है।

Distribution of foodgrains in Southern States

*119. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sourthern States, especially Karnataka, are experiencing great difficulty in ensuring equitable distribution of foodgrains under the FPS due to non-availability of wheat and other cereals;

(b) whether it is a fact that despite good harvest in the North and glut of foodgrains in Northern mandis, there has been no corresponding adequacy of supplies in the South due to poor handling of foodgrains movement from North to South by FCI; and

(c) whether the Central Government will instruct the Railways to provide adequate wagon linkage from North to South for movement of foodgrains?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) No, Sir. There is no shortage of wheat and rice in any of the Southern States for meeting the alocations under Public Disitribution System through F.P.S.

(b) Though the Railways have enhanced the supply of rakes to FCI for movement of foodgrains ex-north for the Southern States this year, still it is less than FCI's requirements.

(c) It has already been done and the matter has been vigorously pursued with the Ministry of Railway.

Reduction sought by Bangladesh on products under SAPTA

*120 SHRI SANJAY DALMIA: SHRI V. HANUMANTHA RAO:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Government of Bangladesh has sought a bigger reduction on a wide range of its products under the South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA);

(b) if so, the details thereof and the items on which further reduction of duty has been sought; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) List of items for exchange of tariff concessions under SAPTA in the first round was finalised in April 1995 on the basis of request list received from Bangladesh and after negotiations in the Inter Governmental Group set up under SAARC. Further concessions can be negotiated in subsequent rounds of negotiations.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मंत्री द्वारा निर्देश

688. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री नागमणि:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जमाखोरी-विरोधी अभियान के कार्यान्वयन हेतु कोई निर्देश दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के निर्देशों की उपेक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में गड़बड़ी की रिपोर्ट मिली है; और

(घ) पूरे देश में जमाखोरी-विरोधी अभियान को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) प्रधानमंत्री समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन और यह सुनिश्चित करने पर कि आपूर्ति उपभोक्ताओं तक बहुत बल देते हैं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी में लगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों तथा उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों का अन्य प्रकार से उल्लंघन करने वाले बेईमान तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन की राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केंद्रीय सरकार को ऐसी सूचना नहीं मिली है कि राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार की सलाह का अनुसरण नहीं कर रही है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की सूचना केंद्रीय सरकार को आवधिक रूप से दे रही है।

केंद्रीय सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु अलग से कोई तंत्र नहीं है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों को लागू करने के अपने कार्य के एक हिस्से के रूप में, निरीक्षण करते हैं और छापे मारते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी गई है कि जब कभी भी यह महसूस किया जाए कि बेईमान तत्वों द्वारा सट्टेबाजी के लिए की गई जमाखोरी के कारण किसी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता और मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो वे जमाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं।

केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस संबंध में पत्रों और बैठकों के माध्यम से समय-समय पर सलाह देती है।

Cost of elimination of child labour

689. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to Government's estimates the cost of elimination of child labour comes to Rs. 12,720 per child;

(b) whether it is also a fact that International Labour Organisation has estimated the cost of elimination of child labour at Rs. 1,390/—; and

(c) if so, the reasons for the difference?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise in view of reply to (a) and (b) above.

News-item regarding rising prices of pulses

690. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleaesd to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the 'Statesman' of 23rd August, 1995 captioned, "price soar-buyers sore" regarding sky-packing prices of pulses, in the main commercial markets and in retail markets in the country; and

(b) if so, the comparative prices of each type of pulses and dals in January, April and September, 1995?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI